

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA

● 2021 ●

YZ 183294



20 JUN 2022

मुद्रांक लिखित/उष-लेखाल
कोषागार कार्यालय, वर्धा.

मुद्रांक शुल्क - ₹ ८

दस्त नोंदणी होणार आहे का ? होय/नाही
वर्त क्रमांक ३२२९० दिनांक ३०/६/२०२१

मुद्रांक दिक्कत घेणाऱ्याचे नांव व सही

दस्ते असल्याग त्याचे नांव व पत्ता ३१९८ ७९१८८ २५ १० सही

मुद्रांक वित्रेता: ग्रामदुत रेतु केंद्र तफै वैभव रा. चांफले
परवाना क. जुना १/२००४ नविन ४५८१००९

जिले

मुद्रा

०८०१५८८५८८८ येहाळी

सहमति ज्ञापन :

यह सहमति- ज्ञापन, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, जिसे यहाँ पार्टी नंबर (1) के रूप में अभिहित किया गया है तथा विद्या प्रबोधिनी कॉलेज ऑफ कार्मस एजुकेशन कंप्यूटर ऐण्ड मैनेजमेंट, परवरी गोवा - 403521 को यहाँ पार्टी नंबर (2) के रूप में संदर्भित किया गया है, द्वारा इस दिनांक 02 जुलाई, 2022 को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के कारण उक्त केंद्र पार्टी नंबर (1) का प्राधिकृत शिक्षार्थी सहायता केंद्र बन गया है।

पार्टी नंबर (1) ने लोगों के शैक्षणिक लाभ के लिए दूर शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश का प्रस्ताव रखा है और पार्टी नंबर (2) ने इसे निष्पादित करने की ज़िम्मेदारी लेने की सहमति व्यक्त की है और दोनों पक्ष निम्नांकित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं-

१. विज्ञापन/ प्रचार :

पार्टी नंबर (2) को पार्टी नंबर (1) के दूर शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। पार्टी नंबर (2) को पार्टी नंबर (1) से किसी भी मीडिया के माध्यम से विज्ञापन/ प्रचार सामग्री ज़रूरी करने से पहले सामग्री की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

पार्टी नंबर (2) को अपने किसी भी दस्तावेज़ में विश्वविद्यालय का नाम और / या लोगो उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र द्वारा पार्टी नंबर (1) का अधिकृत शिक्षार्थी सहायता केंद्र है, इसका उल्लेख किया जा सकता है।

2. कार्यक्रम, विनियम, पाठ्यचर्चा और परीक्षा की योजना:

पार्टी नंबर (1) को पाठ्यक्रम निर्धारित करने, परीक्षा कार्यक्रम तथा अधिगम -कार्यक्रमों के लिए विनियमन तय करने का अधिकार होगा और छात्रों के हित में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संशोधित करने का विशेष अधिकार भी पार्टी नंबर (1) का होगा। पार्टी नंबर (2) को अपने नोटिस बोर्ड पर आवेदन शुल्क, प्रस्तावित कार्यक्रमों और शुल्क का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

3. आवेदन पत्र और विवरणिका:

निर्धारित आवेदन पत्र और विवरणिका पार्टी नंबर (1) द्वारा मुद्रित रूप में और वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। पार्टी नंबर (2) अग्रिम भुगतान पर पार्टी नंबर (1) से निर्धारित आवेदन पत्र और विवरणिका की आवश्यक संख्या प्राप्त कर सकता है। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्रों के मामले में, आवेदन की लागत और विवरणिका का भुगतान पार्टी नंबर (2) द्वारा पार्टी नंबर (1) को भरे हुए आवेदन के साथ किया जाएगा। पार्टी नंबर (2) द्वारा पार्टी नंबर (1) से प्राप्त मुद्रित आवेदन पत्र और विवरणिका शिक्षार्थियों को समान कीमत पर जारी की जाएगी।

4. कार्यक्रम शुल्क:

पार्टी नंबर 1 के पास विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम शुल्क निर्धारित करने का विशेष अधिकार होगा और पार्टी नंबर 1 द्वारा पार्टी नंबर 2 को हिस्सा प्रदान किया जाएगा, जैसा कि दिशा-निर्देश में उल्लिखित है। साथ ही कार्यक्रम शुल्क एवं हिस्से के अनुपात को संशोधित करने का अधिकार भी पार्टी नंबर का होगा। पार्टी नंबर 2 को कार्यक्रम का पालन करना होगा। पार्टी नंबर 2 अनुलग्नक 1 में उल्लिखित शुल्क के अलावा शिक्षार्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। इसका उल्लंघन करने पर अनुबंध की तत्काल समाप्ति होगी।

5. भुगतान का माध्यम:

पार्टी नंबर 2 द्वारा पार्टी नंबर 1 के पक्ष में शिक्षार्थियों से सभी भुगतान केवल ऑनलाइन कराने होंगे। पार्टी नंबर 2 किसी भी परिस्थिति में शिक्षार्थियों से नकद स्वीकार करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अवैध रूप से अन्य उद्देश्य के लिए शिक्षार्थियों से नकद स्वीकारना अपराध माना जाएगा।

6. प्रवेश - प्रक्रिया:

पार्टी नंबर 1 विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता/ अर्हता निर्धारित करेगा। पार्टी नंबर 2, ऑनलाइन आवेदन भरते समय निर्धारित शुल्क (अनुलग्नक 1 देखें) जमा करने के बाद शिक्षार्थियों से योग्यता परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र की स्कैन्ड प्रति अपलोड कराएगा। प्रारंभिक सत्यापन के बाद, पार्टी नंबर 2 को शिक्षार्थियों को मूल प्रमाण पत्र तुरंत वापस करने होंगे। किसी भी स्थिति में पार्टी नंबर 2 शिक्षार्थियों के मूल प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रखेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के 10 दिनों के भीतर मुद्रित आवेदन के साथ शिक्षार्थियों द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्रों को डाक द्वारा पार्टी नंबर 1 को प्रेषित किया जाएगा। पार्टी नंबर 1 को सत्यापन के लिए किसी भी समय मूल प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने का अधिकार है।

पार्टी नंबर 1 छंटनी के बाद शिक्षार्थियों के प्रवेश की पुष्टि करेगा। प्रवेश के बाद शिक्षार्थियों के पहचान पत्र उनके लॉगिन आईडी पर उपलब्ध होगा, वहाँ से शिक्षार्थी अपने पहचान पत्र डाउनलोड कर सकेगा।

7. पाठ्यसामग्री:

पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 के माध्यम से शिक्षार्थियों को, जहाँ कहीं भी लागू हो, पाठ्यक्रम सामग्री की आपूर्ति करेगा। कुछ पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के मामले में शिक्षार्थी स्वयं पार्टी नंबर 1 की वेबसाइट से संबंधित पाठ्यसामग्री डाउनलोड कर सकेगा। पार्टी नंबर 2 का यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वयं के जोखिम और लागत पर शिक्षार्थियों को बिना किसी देरी के उनकी सामग्री उपलब्ध करा दें। किसी भी स्थिति में, पार्टी नंबर 2 को पाठ्यसामग्री अपने पास एक पखवाड़ से अधिक नहीं रखनी चाहिए।

8. व्यक्तिगत संपर्क कक्षाएँ:

पार्टी नंबर 2 को उनके केंद्र में, समस्त पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट शिक्षार्थियों हेतु, पार्टी नंबर 1 द्वारा निर्धारित दिन और घंटे के अनुरूप व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं का आयोजन कर संबंधित पूर्ण विवरण पार्टी नंबर 1 को इमेल द्वारा उपलब्ध करना होगा तथा इसका अभिलेख अपने केंद्र पर आगामी कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखना होगा। पार्टी नंबर 1 सत्यापन हेतु किसी भी समय अभिलेखों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पार्टी नंबर 2 को परीक्षा सूचना जारी होने के पूर्व व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं की समय सारिणी पार्टी नंबर 1 को उपलब्ध करानी होगी।

9. व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं के लिए विषय विशेषज्ञ:

पार्टी नंबर 2 को व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं के लिए महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत योग्य एवं संबंधित विषय में प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करना होगा। विद्यालयी अध्यापक व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। पार्टी नंबर 2 व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं हेतु नियुक्त अपने शिक्षकों के बायोडाटा के साथ अभिलेख बनाए रखेगा, कक्षाएँ लेने वाले शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका को उनके हस्ताक्षर के साथ बनाए रखेगा। इसके अलावा, पार्टी नंबर 2 को शिक्षकों को मार्गदर्शन शुल्क सहित पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित अभिलेख बनाए रखने होंगे। पार्टी नंबर 1 सत्यापन के लिए किसी भी समय इन अभिलेखों को मांग सकता है।

10. पंजिका/ दस्तावेज़ का रख-रखाव

पार्टी नंबर 2 को पार्टी नंबर 1 द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित पंजिका / दस्तावेज़ का रख- रखाव करना होगा-

- (i) शिक्षार्थी पूछताछ पंजिका
- (ii) पूर्ण भरे हुए आवेदनों की छायाप्रति (स्कैंड कॉपी सहित)
- (iii) प्रवेश संबंधी पंजिका
- (iv) शिक्षार्थियों की हस्ताक्षरित पाठ्यसामग्री प्राप्ति पंजिका
- (v) व्यक्तिगत संपर्क कक्षा के शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका, उनके हस्ताक्षर सहित
- (vi) व्यक्तिगत संपर्क कक्षा हेतु शिक्षार्थियों की उपस्थिति पंजिका, उनके हस्ताक्षर सहित
- (vii) प्रविष्ट शिक्षार्थियों की जानकारी संबंधी पावती पुस्तक पार्टी नंबर 1 द्वारा किसी भी समय उपरिलिखित सभी पंजिका / दस्तावेज के सत्यापन की मांग की जा सकती है।

11. परीक्षा:

पार्टी नंबर 1 के पास परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा शुल्क निर्धारण, परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने, परीणाम घोषित करने और डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का विशेष अधिकार होगा। परीक्षा केंद्र, मुख्य अधीक्षक और विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक पार्टी नंबर 1 द्वारा तय किए जाएँगे।

पार्टी नंबर 1 परीक्षार्थियों के निमित्त परीक्षा आवेदन पत्र को उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। पार्टी नंबर 2 को शिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ भेर हुए आवेदनों को पार्टी नंबर 1 को निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले भेजना होगा। पार्टी नंबर 1 परीक्षा के आवेदन पत्र की जाँच करेगा और परीक्षा में बैठने और लिखने के लिए शिक्षार्थियों की पात्रता तय करेगा।

परीक्षा आवेदन पत्र को भेजने से पहले पार्टी नंबर 2 यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षार्थियों द्वारा पार्टी नंबर 1 को देय शुल्क के भुगतान का कोई बकाया नहीं है।

पार्टी नंबर 1 द्वारा परीक्षा कार्यक्रम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। हॉल टिकट मुख्य परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक/ पर्यवेक्षक / वेबसाइट के माध्यम से पार्टी नंबर 1 द्वारा जारी किए जाएंगे।

पार्टी नंबर 1 द्वारा परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

पार्टी नंबर 1 द्वारा परीक्षार्थियों को सीधे अंकतालिकाओं/डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र भेजे जाएँगे।

12. पार्टी नंबर 2 के वित्तीय दायित्व:

- (i) पार्टी नंबर 1 द्वारा जारी दूर शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति के उपरांत स्वयं के स्तर पर निशुल्क विज्ञापन और प्रचार के व्यय -वहन करना
- (ii) शिक्षार्थी सहायता केंद्र के प्रबंधन संबंधी प्रशासनिक व्यय -वहन करना
- (iii) शिक्षार्थियों के निमित्त व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं के आयोजन के लिए कक्ष किराया, शिक्षार्थियों को सूचना भेजना, व्याख्यान / व्यावहारिक कक्षा पारिश्रमिक आदि व्यय-वहन करना
- (iv) परियोजना पर्यवेक्षक शोध निर्देशक को देय शुल्क के भुगतान के व्यय -वहन करना
- (v) पार्टी नंबर 2 द्वारा शिक्षार्थी सेवा सहायता के अधीन किसी सेवा की लापरवाही के कारण शिक्षार्थी और पार्टी नंबर 1 के बीच किसी भी विवाद के संबंध में कानूनी व्यय के वहन करने के लिए जैसे कि संपर्क कक्षाओं के आयोजन में विफलता, पाठ्यसामग्री वितरित न करना या पार्टी नंबर 1 को शुल्क प्रेषित न करना आदि।

13. जमानत राशि (Caution Money)

पार्टी नंबर 2 को ब्याज मुक्त वापसी योग्य राशि ₹5000/- (प्रति पाठ्यक्रम) जमा करना होगा, जिसे पार्टी नंबर 2 को पार्टी नंबर 1 द्वारा सहमति की समाप्ति के बाद वापस किया जाएगा। पार्टी नंबर 1 को, बिना किसी नोटिस के, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क, या किसी भी अन्य बकाया जैसे किसी भी देय राशि के भुगतान के संबंध में पार्टी नंबर 2 की ओर से चूक के मामले में, जमानत राशि से ऐसी किसी भी बकाया राशि को काटने का अधिकार होगा। शुल्क में छूट/ शिथिलता का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

14. अन्य शर्तें

- (a) पार्टी नंबर 2 को केवल अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना होगा और अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं करना होगा।
- (b) पार्टी नंबर 2 को शिक्षार्थी सहायता केंद्र का नाम और पता बदलने के लिए, पार्टी नंबर 1 से पूर्वानुमति लेनी होगी।
- (c) पार्टी नंबर किसी अन्य व्यक्ति को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में या किसी अन्य रूप में अपने क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए अधिकृत / नियुक्त नहीं करेगा।
- (d) पार्टी नंबर 2 अन्य शिक्षार्थी सहायता केंद्रों से शिक्षार्थियों के स्थानांतरण को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि पार्टी नंबर 1 द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। यदि स्थिति की मांग हो, तो पार्टी नंबर 1 के पास एक शिक्षार्थी सहायता केंद्र के माध्यम में नामांकित शिक्षार्थी को किसी अन्य शिक्षार्थी सहायता केंद्र में पुनः निर्धारण का अधिकार होगा।
- (e) पार्टी नंबर 2 पार्टी नंबर 1 के नाम पर शिक्षार्थियों को कोई भी प्रमाणपत्र/अस्थायी/स्थानांतरण या कोई अन्य प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।
- (f) पार्टी नंबर 2 में पार्टी नंबर 1 के शिक्षार्थी सहायता केंद्र के लिए विशेष परिसर होना चाहिए।
- (h) केवल कार्यक्रम अधिकारी को पार्टी नंबर 1 को संबोधित सभी पत्राचार पर हस्ताक्षर करना होगा। अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (i) गंभीर प्रकृति की शिकायतों जैसे धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी और प्रमुख तथ्यों को छुपाने या हितधारक द्वारा जनहित में केंद्र/ शिक्षार्थी सहायता केंद्र के खिलाफ लगाए गए किसी भी अन्य आरोप, जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, सहमति तुरंत समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है।

15. सहमति ज्ञापन की वैधता

सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और तीन वर्ष अर्थात् 01 जुलाई, 2022 में 30 जून, 2025 तक लागू रहेगा।

16. सहमति ज्ञापन की समाप्ति

यदि शिक्षार्थियों के नामांकन, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों के संचालन, पाठ्यक्रम सामग्री के वितरण और शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के संबंध में पार्टी नंबर (2) का कामकाज संतोषजनक नहीं है, तो पार्टी नंबर (1) को सहमति ज्ञापन को समाप्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में, पार्टी नंबर (2) में पंजीकृत शिक्षार्थी, पार्टी नंबर (1) के शिक्षार्थी माने जाएँगे। सहमति अवधि के दौरान, पार्टी नंबर (2), पार्टी नंबर (1) द्वारा पूर्व में निर्धारित तथा समय-समय पर सूचित किए जाने वाले सभी नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। उपरिलिखित किसी भी नियम के उल्लंघन के मामले में, पार्टी नंबर (1) को बिना किसी पूर्व सूचना के इस सहमति को समाप्त करने का अधिकार होगा।

पार्टी नंबर (2) शिक्षार्थियों से नकद के रूप में कोई राशि/शुल्क नहीं लेगा। इसका उल्लंघन प्राप्त शिकायतों के आधार पर इस सहमति को तत्काल समाप्त करने की ओर ले जाएगा। जहाँ कहीं भी पार्टी नंबर (1) दूर शिक्षा से संबंधित विनियमों/ नीतियों में सरकार, अन्य शैक्षणिक/सांविधिक निकायों के निर्देशानुसार संशोधन करेगा, ऐसे समस्त परिवर्तन पार्टी नंबर (2) पर बाध्यकारी हैं।

17. सभी विवादों से संबंधित न्यायालय का क्षेत्राधिकार:

दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस सहमति-ज्ञापन में शामिल मामलों के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हो, का निर्णय केवल मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा किया जाएगा।

18. अनुसूची:

दोनों पक्षों ने उपरिलिखित नियमों और शर्तों पर सहमति जताते हुए, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले गवाहों की उपस्थिति में पार्टी नंबर 1 के कार्यालय, वर्धा में, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध दो प्रतियों में तैयार किया गया है। मूल समझौता पार्टी नंबर (1) द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और एक प्रति पार्टी नंबर (2) को सौंप दी जाती है।

साक्षी :

1. प्रिया शांति
महाराष्ट्र प्र० ५१६५५५५०७
टिंडी १९ मार्ग
2. श्रीमती

1. निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय, मगाअहिवि, वर्धा

2. कॉलेज/संस्थान के अधिकृत के हस्ताक्षर

IC Balaji
12/07/2022

Hossain
02/07/2022

